


31/10
25

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष के अधिकता उपस्थित
वकील प्रार्थना का प्रा-पत्र व्यापकत में स्वीकार
किया जाता है। परन्तु अगर प्रचलित। कदमी रास्ता
चालू था-चल रहा है तो पत्परगती के दौरान बाधित।
खेद नहीं किया जावे। निर्णय प्रथक से लिखा जाकर
शा.प. किया गया। पत्रावली फलल शुमार लेकर
मन्वर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला मीलवाड़ा